

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.

25⁶/₁₈

पत्रावली नोंदणी कार्डे में पेरा सुनु। एकी अन्वेषण
उपल। एकीकर बाद डिक्री किये जग ए निर्य
प्रक से शान्तिन पत्रावली किये गया। पत्रावली नोंदणी
सुगुनर होकर गन्वर से एग से कय बाद एकीकर
किये गन्वर से। ए.

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प, खानपुर खेरी

पीठासीन अधिकारी श्री विजया लता जीना P.A.S
उपखण्ड
उपनाम शेर सिंह

दावा बाबत:- क्र. 188 R.A.Ct.

मुकदमा नम्बर:- 71/17

निर्णय दिनांक:- 25-6-2018

वादी की ओर से श्री विजया लता जीना की व प्रतिवादी की ओर से

की उपस्थिति में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम

निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि - विवाह डायरी चलाने में

318/0-15 वेधत वरुणग्राम खडपुरी तहसील कोटकासिम के वादी का कोई हिस्सा
बिना जाने ही प्रतिवादी के जोई बुक में नोट्स स्वामी से पकड़ लिए जाते।
इसके विवाह डायरी में सुझावी रासाधारण नोट्स, ना किसी भी प्रकार का
कचरा पकड़ा जाता है, ना वादी को जबरन खेद स्पष्ट करते, और ना व
राजस्व रिपोर्ट को प्रभावित किया गया।

दोनों पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 25/6/18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विजया लता जीना) P.A.S

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

साथ की प्रतियाँ